2.3

प्रपत्र–6

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 11.09.18 को प्रश्नगत परियोजना के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री आनन्द सिंह............, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से प्रकाश सिंह .... राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री बीरेन्द्र कुमार, अवर अभियंता, द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/ नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि 0.172 है0, सिविल सोयम वन भूमि 0.715 .है0, वन पंचायत भूमि 0. 576 है0 कुल 1.291 है0 वन भूमि एवं 3.705 है0 नाप भूमि प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/ संरेखण को सर्वथा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से ग्राम पंचायत स्याली, लद्यूड़ा एवं मनाखेत की कुल 584 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में 155 वृक्षों व नाप भूमि पर 36 वृक्षों का पातन निहित है जिनकी प्रजातिवार/ व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(बीरेन्द्र कुमार) अवर अभियंता (प्रयोक्ता एजेन्सी)	(श्याम सुन्दर जोशी) अमीन लो0नि0वि0	राजस्व उप निरीक्षक राजस्व विभाग प्रतिनिधि	(आनन्द सिंह) वन दरोगा वन विभाग प्रतिनिधि
सहायक अभियंता प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0 बागेश्वर (सदस्य सचिव)	वनक्षेत्र अधिकारी गड़खेत वन क्षेत्र (सदस्य)	तहसीलदार गरुड़ (सदस्य)	सहायक वन संरक्षक बागेश्वर वन प्रभाग (सदस्य)

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

उपजिलाधिकारी
गरूड़/ अध्यक्ष, संयुक्त निरीक्षण समिति तहसील गरूड़

प्रधान/ वन पंचायत सरपंच

प्रभागीय वनाधिकारी

जिला अधिकारी